इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष एवं अ धक आयु के समस्त व्यक्तियों को पेंशन देय है। योजनान्तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अ धक आयु के पेंशनर को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना

ग्रामीण वकास मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना (IGNWPS) योजना को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ कये जाने का निर्णय लया गया है। इस योजना अन्तर्गत निम्नां कत पात्रता की वधवाओं को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-

•भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की वधवा जिसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच की है।

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण वकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को प्रयोग में लया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रच लत बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लया जाना है।

यहाँ यह स्पष्ट कया जाता है क :-

•राजस्थान वृद्धावस्था एवं वधवा पेंशन नियमए 1974 के अर्न्तगत पात्र वधवाओं को लाभान्वित करने की पेंशन योजना यथावत है।

• ऐसी वधवाऐं जो वर्तमान में राजस्थान वृद्धावस्था एवं वधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रही हैं जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के मध्य है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैंए उन्हें चन्हित कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्थानान्तरित कर उपर्युक्तानुसार पेंशन का भुगतान कया जायेगा।

• 40 वर्ष तक की आयु की वधवाऐं जो राजस्थान वृद्धावस्था एवं वधवा पेंशन नियमए 1974 के अन्तर्गत पात्रता रखती हैंए उन्हें राजस्थान वृद्धावस्था एवं वधवा पेंशन नियमए 1974 के अन्तर्गत पेंशन देय होगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

ग्रामीण वकास मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) योजना को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ कये जाने का निर्णय लया गया है। इस योजना अन्तर्गत निम्नां कत पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-

• भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु नि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्र सत हैं और जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के मध्य है।

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07.एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑ फस मेमोरेण्डम क्रमांक जे-11012/1/09.एनएसएपी दिनांक 30.09.09 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण वकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रच लत बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लया जाना है।

यहाँ यह स्पष्ट कया जाता है क :-

इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्त श्श्नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अ धकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अ धनियम, 1995" में व र्णत निम्न 7 श्रे णयों में आने वाले नि:शक्तजनों को पात्र माना जायेगा :-

• अंधता
• कम दृष्टि
• कुष्ठ रोग मुक्त
• श्रवण शक्ति का ह्रास
• चलन नि:शक्तता
• चलन नि:शक्तता

• मान सक मंदता

• मान सक रूग्णता

• ऐसे नि:शक्तजन जो राजस्थान अपाहिजए अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियमए 1965 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं उन्हें चन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) में स्थानान्तरित कर उपरोक्तानुसार पेंशन का भुगतान कया जायेगा।

• राजस्थान अपाहिजए अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे अंधता एवं चलन नि:शक्तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तों पर भ वष्य में भी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

पात्रता :-

निम्नां कत पात्रता रखने वाले निरा श्रत 58 वर्ष से अ धक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है -

• राजस्थान का वास्त वक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अव ध से राजस्थान में रहता हो।

• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा निय मत आय न हो।

• उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अ धक आयु का न हो अथवा आजी वका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।

• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अ धक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहॉ पंजीकृत होए को भी निरा श्रत माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

• सीमान्त कृषकों के लये वहित सीमा की आधी से कम कृ ष भू म की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मि लत नहीं कया गया है।

• सीमान्त कृषकों के लये वहित सीमा की आधी से कम कृ ष भू म की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मि लत नहीं कया गया है।

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स	500 रूपये प्रतिमाह पेंशन
75 वर्ष एवं उससे अ धक के पेंशनर्स	750 रूपये प्रतिमाह पेंशन

आवेदन कहॉ करें :-

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में वकास अ धकारीए पंचायत स मति ;जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अ धकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत स मति तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

वधवा पेंशन योजना

पात्रता :-

निम्नां कत पात्रता रखने वाले निरा श्रत कसी भी आयु की वधवा को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है -

• राजस्थान का वास्त वक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अव ध से राजस्थान में रहता हो।

• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा निय मत आय न हो।

• उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अ धक आयु का न हो अथवा आजी वका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।

• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के कसी भी आयु की वधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहॉ पंजीकृत होए को भी निरा श्रत माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

• सीमान्त कृषकों के लये वहित सीमा की आधी से कम कृ ष भू म की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मि लत नहीं कया गया है।

• गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध वधवा/परित्यक्ता को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

कसी भी आयु की वधवा	500 रूपये प्रतिमाह पेंशन

आवेदन कहॉ करें :-

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में वकास अ धकारीए पंचायत स मति ;जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अ धकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत स मतिए तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

नि:शक्त व्यक्तियों को पेंशन

ग्रामीण वकास मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना ;प्ळछक्च्ैद्ध योजना को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ कये जाने का निर्णय लया गया है। इस योजना अन्तर्गत निम्नां कत पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-

•भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु नि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्र सत हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य है।

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07-एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑ फस मेमोरेण्डम क्रमांक जे-11012ध्1ध्09. एनएसएपी दिनांक 30ण्09ण्09 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण वकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रच लत बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लया जाना है।

यहॉ यह स्पष्ट कया जाता है क :-

इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्त श्नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अ धकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अ धनियम 1995" में व र्णत निम्न 7 श्रे णयों में आने वाले नि:शक्तजनों को पात्र माना जायेगा

- अंधता
- कम दृष्टि
- कुष्ठ रोग मुक्त
- श्रवण शक्ति का ह्रास
- चलन नि:शक्तता
- मान सक मंदता
- मान सक रूग्णता

• ऐसे नि:शक्तजन जो राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं उन्हें चन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना ;IGNDPS) में स्थानान्तरित कर उपरोक्तानुसार पेंशन का भुगतान कया जायेगा।

• राजस्थान अपाहिजए अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियमए 1965 के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे अंधता एवं चलन नि:शक्तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तों पर भ वष्य में भी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।